

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{v} - \frac{1}{u}$$

શ્રી. પદ્મ. પિક્કી ગુહી
૫ દેવજન પાઠશાળા

વિધન - સ્વસ્થતાનું સુખી અને સંપત્તિ છે ।

नैमन

गहामय
सबिन्धन निवेदन यह है कि मैं
विश्वनाथ खण्डाई पिता स्व. काठुन खण्डाई जग
दोषभूषी भाग नं 185 अचल गुफरी अ निवासी
हूँ। मेरा खाला सरखाना 25 25 24 97
जय 845 है

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
 श्री १ संख्या,
 तुलसी क १

ਅੰਤ: ਕੀਮਤ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਦੇ ਮਨ
25 24 97 ਭਰਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੈ

अं० ४१० बुद्ध

ମିଳି ଓ ବିଭାଜିତ

महाराज,

நிர்வாகன டீஸ்ட்

महाशय,
मौजा-रोवाडली थाना-185
खता-24,25 को ऑनलाइन अभिलेख
के सुधार किया जा सकता है।

9430754824

RS /

8950 2495 5937

જાન્યુઆરી ૧૦ ૧૯૩૫

सौजी नमस्त

जिज्ञासिद्धभूम

नाम भौडा
नाम शाला

पदगाना

श्रीगुरुभ्यो नमः

स्वतंत्रता का प्रस्तावित नं०

नाम अस्सामी, पिता का नाम
जाति व व्यवस्थान

खेसरा नम्बर ।

खेस ।

बाहरी

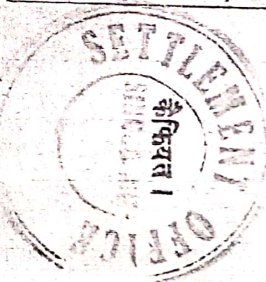
किस्म जमीन ।

इकाई

राजीव

रुकवा
शे.द्रिक
प्रणाजी

आदि



लगान । बेलगान खेतों के निम्नवत लिखें कि किस शर्त पर देखलकार है ।

हार्किम के तहकीः
कात मोताविहः
लगान ।

ठहराया हुआ
मुनासिब लगान
अगर कोई हो ।

ठहराया हुआ
मुनासिध तगान
अनार कोई हो ।

- (१) नवीनयत, गौर दाहि
- रैयत के कबजे को
- (२) तरीफा ठहराने
- को शरायत लगाने
- होते हैं।
- (३) खास रात आग
- हो।

۱۷

نعم

38

五

4

G

5

72

10

Certified to be a true copy of the
record of rights, finally framed and
published under section 8 of
the Chotanagpur Tenancy Act on
the 11th day of 1950
The Certificate of final publication
was signed on 11-11-1950.

1947.7.26

Bohlmann, Officer
BINGHAM, H. M.

वेस, अक्रधरपुर ।



अंचल अधिकारी का कार्यालय, गुदड़ी।

अभिलेख संख्या :-03 / 2025-26

Case No. 3 / 2022-23

आदेश की तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई
	अभिलेख उपस्थापित आवेदक निर्गत नोटिस के निर्देशानुसार साक्ष्य सहित राजस्व कागज उपस्थित होकर जमा किये हैं। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक का उक्त जमाबंदी में सुधार हेतु जाँच प्रतिवेदन सहित अनुशंसा प्राप्त है। राजस्व कागजात अवलोकन उपरान्त खाता संख्या 25 तथा 24 प्लॉट संख्या - 424 तथा 845 रकवा 0.084 तथा 0.340 एकड़ हॉल सर्वे खतियान के आधार पर सही अंकित पाया। अतः उक्त खाता 25 तथा 24 के प्लॉट संख्या - 424 तथा 845 की रकवा अशुद्धि को हटाते हुए रकवा दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। ↓ 65/05/25 अंचल अधिकारी, गुदड़ी।	